MR. CHAIRMAN: Opinion in the House is free and frank.

DR. K. MALAISAMY: The global meltdown has done enough damage not only to the global economy but also to the Indian economy. In such a situation, I am inclined to ask whether the impact or effect of the global meltdown in Indian economy is substantial or marginal. Whatever may be, can you give an assurance that our Indian economy will not be affected; if at all, that will be only marginal?

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, although this does not arise from the question, yet I have no hesitation in giving an honest answer to the hon. Member's question. Sir, in a global economy, for any country to say that its economy is totally insulated from what happens abroad, is fallacious; it is wrong. I have no hesitation in accepting, as has been done by hon. Finance Minister, and earlier by Mr. Chidambaram, that we are not totally insulated. We are impacted by global economic slowdown, but thankfully for us, since the Indian economy is essentially driven by domestic consumption and demand, we are relatively less negatively impacted by global economic slowdown, and that is proved by the fact that whereas there is contraction in the economies of developed countries, India will still register a handsome growth of about 7 per cent. Therefore, I would like to assure hon. Member that we are less negatively impacted and we are responding as purposively and with utmost expedition as possible to respond to the global economic slowdown.

PROF. P.J. KURIEN: Sir, hon. Minister's answer mentions that a proposal from Ms. Dow Jones and Company Inc., U.S.A., has been approved by Foreign Investment and Promotion Board. That means, the Government of India has accepted FDI in media. But, my concern is that when there is foreign investment in the media, will it not have undesirable influence on our media which would be detrimental to our cultural ethos? Is the Government considering that aspect? If so, I would only like to know what precautions you are going to take.

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, the hon. Member has asked a pertinent question, and I would like, once again, to allay his apprehensions. What has now been done, Sir, is to permit 100 per cent FDI only in facsimile reproductions of foreign newspapers which are not supposed to be publishing Indian news or content. The sectoral equity cap of 26 per cent remains intact, as far as the participation of foreign print media in the news and current affairs activities is concerned. So, there is absolutely no cause to apprehend that foreign ideas would either influence the culture, society or politics of our country.

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम का कार्यान्वयन

*42. **श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा**† †
श्री राम जेठमलानी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 लगभग 12 वर्ष पूर्व देश में लागू हुआ था;

---

††सभा में यह प्रश्न श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा द्वारा पूछा गया।

(ख) यदि नहीं, तो उपरोक्त कानून किस तारीख को लागू हुआ;

(ग) क्या इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को मजदूरों के कल्याण हेतु उपकर एकत्रित करने का अधिकार दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो मार्च, 2008 तक इस मद के अंतर्गत एकत्रित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें यह धनराशि वसूल की गई तथा इस धन राशि से श्रमिकों के कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गईं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 वर्ष 1996 में अधिनियमित किए गए थे और इन अधिनियमों के लिए केन्द्रीय नियम 1998 में बनाए गए थे। केन्द्र सरकार केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए क्रियान्वयन प्राधिकरण है जबकि राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन प्राधिकरण हैं। राज्यों को उक्त अधिनियम के अनुसरण में नियमों को बनाना और अधिसूचित करना, सलाहकार समितियों/विशेषज्ञ समितियों का गठन करना होता है, कामगारों के पंजीकरण, उपकर वसूली, निरीक्षण और अपीलीय प्राधिकरण के लिए विभिन्न प्राधिकरणों की नियुक्ति करना तथा विभिन्न कल्याण योजनाओं को बनाने तथा क्रियान्वित करने के लिए राज्य कल्याण बोर्डों का गठन करना होता है। राज्यों में इन दो अधिनियमों का क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में है।

राज्य सरकारों को कर्मकारों के कल्याण के लिए उपकरण वसूल करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार एकत्रित राशि और बनाई गई कल्याण योजनाओं को दर्शाने वाले विवरण I और II संलग्न हैं।

विवरण-I

(31.3.2008 की स्थिति के अनुसार एकत्रित उपकर का ब्यौरा)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	एकत्रित उपकर की राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.57
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.06
3.	असम	शून्य
4.	बिहार	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	शून्य
6.	गोवा	शून्य
7.	गुजरात	79.91
8.	हरियाणा	24.49

1	2	3
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
10.	जम्मू और कश्मीर	शून्य
11.	झारखंड	शून्य
12.	कर्नाटक	44.56
13.	केरल	254
14.	मध्य प्रदेश	174
15.	महाराष्ट्र	शून्य
16.	मणिपुर	शून्य
17.	मेघालय	शून्य
18.	मिजोरम	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य
20.	उड़ीसा	शून्य
21.	पंजाब	शून्य
22.	राजस्थान	शून्य
23.	सिक्किम	शून्य
24.	तमिलनाडु	214.48
25.	त्रिपुरा	1.83
26.	उत्तर प्रदेश	शून्य
27.	उत्तराखंड	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	25.31
29.	दिल्ली	127.65
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य
31.	चंडीगढ़	शून्य
32.	दादरा और नागर हवेली	0.01
33.	दमन और दीव	शून्य
34.	लक्षद्वीप	शून्य
35.	पुडुचेरी	11.59
	कुल	973.46

विवरण-II

राज्य सरकारों द्वारा संचालित कल्याण योजनाएं

गुजरात

(1) बच्चों को शैक्षिक सहायता (2) प्रसूति लाभ योजना (3) दुर्घटना लाभ योजना (4) अन्त्येष्टि क्रिया लाभ योजना (5) चिकित्सा सहायता योजना (6) मकान निर्माण योजना (7) कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण

हरियाणा

(1) प्रसूति लाभ (2) पेंशन (3) मकान की खरीद अथवा निर्माण के लिए अग्रिम (4) विकलांगता पेंशन (5) औजारों की खरीद के लिए ऋण (6) अंत्येष्टि सहायता का भुगतान (7) मृत्यु लाभ का भुगतान (8) चिकित्सा सहायता (9) शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (10) उनके बच्चों और महिला सदस्य की अपने विवाह के लिए वित्तीय सहायता (11) पारिवारिक पेंशन (12) जनश्री बीमा योजना

कर्नाटक

(1) अंत्येष्टि व्ययों की पूर्ति हेतु सहायता (2) चिकित्सा सहायता (3) दुर्घटना लाभ योजना (4) चिकित्सा सहायता

केरल

(1) पेंशन (2) परिवार पेंशन (3) औजार अग्रिम (4) अंत्येष्टि लाभ (5) मृत्यु लाभ (6) दुर्घटना मृत्यु लाभ (7) उपचार संबंधी लाभ (8) घातक रोग उपचार लाभ (9) अनुग्रह राशि लाभ (10) छात्रवृत्ति (11) प्रवेश परीक्षा कोचिंग (12) विवाह लाभ (13) प्रसूति लाभ आदि

मध्य प्रदेश

(1) दुर्घटना स्कीम के मामले में चिकित्सा सहायता (2) मृत्यु स्कीम के मामले में अंत्येष्टि सहायता और अनुग्रह राशि का भुगतान (3) शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) स्कीम (4) योग्य विद्यार्थी योजना के लिए नकद पुरस्कार (5) प्रसूति सहायता स्कीम (6) चिकित्सा सहायता स्कीम (7) लाभार्थी की सुपुत्री/महिला लाभार्थी के स्वयं के विवाह की सहायता स्कीम (8) पेंशन सहायता स्कीम (9) आवास ऋण सहायता स्कीम

तमिलनाडु

(1) समूह वैयक्तिक दुर्घटना बीमा स्कीम (2) प्राकृतिक मृत्यु पर सहायता (3) अंत्येष्टि व्यय हेतु सहायता (4) शिक्षा सहायता (5) विवाह सहायता (6) प्रसूति सहायता (7) चश्मों की लागत की प्रतिपूर्ति (8) पेंशन स्कीम (9) महिला कामगारों के बच्चों के लिए क्रेच

त्रिपुरा

(1) दुर्घटना के मामले में सहायता (2) मृत्यु लाभ (3) पेंशन (4) ऋण एवं अग्रिम (5) उपचार के लिए चिकित्सा व्यय (6) महिला लाभार्थी के लिए प्रसूति लाभ

पश्चिम बंगाल

(1) दुर्घटना के मामले में सहायता (2) मृत्यु लाभ (3) वृद्धावस्था पेंशन (4) बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता (5) बड़ी बीमारी के उपचार के लिए चिकित्सा सहायता (6) प्रसूति लाभ (7) आवास निर्माण अग्रिम

दिल्ली

(1) गृह खरीद/निर्माण हेतु अग्रिम (2) अपंगता पेंशन (3) औजारों की खरीद के लिए ऋण (4) कामगारों के नामित/आश्रित के लिए मृत्यु लाभ (5) प्रसूति लाभ (6) परिवार/वृद्धावस्था पेंशन (7) निर्माण स्थल के निकट कामगारों के बच्चों के लिए क्रेच खोलना (8) जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा पॉलिसी हेतु प्रीमियम का भुगतान (9) धारित क्षेत्रों में निर्माण कामगारों हेतु अस्थाई आवास प्रदान करने की स्कीम

पुडुचेरी

(1) जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत समूह बीमा कवरेज (2) चिकित्सा सहायता (3) अंत्येष्टि सहायता/मृत्यु लाभ (4) प्रसूति लाभ (5) विवाह सहायता (6) दीपावली गिफ्ट कूपन (7) बच्चों के लिए छात्रवृत्ति (8) रेनकोट

Implementation of Building and Other Construction Workers' Act

†*42. SHRI RAJ MOHINDER SINGH MAJITHA:††
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act, 1996 had been implemented in the country about 12 years back;

(b) if not, the date of implementation of aforesaid law;

(c) whether State Governments had been empowered to collect cess for the welfare of workers under this Act;

(d) if so, the State-wise amount collected under this head till March, 2008; and

(e) the names of States where this collection was done and the names of schemes formulated out of this amount for welfare of workers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI OSCAR FERNANDES): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 and Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 were enacted in 1996 and Central Rules for these Acts were framed in 1998. The Central Government is the implementing authority for the establishments coming under central sphere while the State Governments are the implementing authority in the State sphere. The States have to frame and Notify Rules, constitute Advisory Committees/Expert Committees, appoint various authorities for registration of workers, Cess collection, Inspection and Appealing Authority and to constitute State Welfare Boards to frame and implement various welfare schemes in pursuance of the said Act. The States are at various stages of implementation of the two Acts.

State Governments are empowered to collect cess for the welfare of workers. Statements on the basis of information received from the State/UT Governments indicating the amount collected and welfare schemes formulated as on 31st March, 2008 are annexed as statement-I and II.

Statement-I

Details of Cess collected as on 31.3.2008

Sl. No.	Name of the State/UTs	Amount of Cess collected (In Crore Rupees)
1	2	3
1.	Andhra Pradesh	15.57

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Raj Mohinder Singh Majitha.

1	2	3
2.	Arunachal Pradesh	0.06
3.	Assam	NIL
4.	Bihar	NIL
5.	Chhattisgarh	NIL
6.	Goa	NIL
7.	Gujarat	79.91
8.	Haryana	24.49
9.	Himachal Pradesh	NIL
10.	Jammu and Kashmir	NIL
11.	Jharkhand	NIL
12.	Karnataka	44.56
13.	Kerala	254
14.	Madhya Pradesh	174
15.	Maharashtra	NIL
16.	Manipur	NIL
17.	Meghalaya	NIL
18.	Mizoram	NIL
19.	Nagaland	NIL
20.	Orissa	NIL
21.	Punjab	NIL
22.	Rajasthan	NIL
23.	Sikkim	NIL
24.	Tamil Nadu	214.48
25.	Tripura	1.83
26.	Uttar Pradesh	NIL
27.	Uttarakhand	NIL
28.	West Bengal	25.31
29.	Delhi	127.65
30.	Andaman and Nicobar Islands	NIL

1	2	3
31.	Chandigarh	NIL
32.	Dadra and Nagar Haveli	0.01
33.	Daman and Diu	NIL
34.	Lakshadweep	NIL
35.	Puduchery	11.59
	TOTAL	973.46

Statement-II

Welfare schemes formulated by State Governments

Gujarat

(1) Educational Assistance to children (2) Maternity Benefit Scheme (3) Accident Benefit Scheme (4) Funeral Benefit Scheme (5) Medical Assistance Scheme (6) House Building Scheme (7) Training for skill up gradation.

Haryana

(1) Maternity Benefit (2) Pension (3) Advance for purchase or construction of house (5) Disability pension (6) Loan for purchase of Tools (7) Payment of funeral assistance (8) Payment of death benefit (9) Medical assistance (10) Financial Assistance for Education (11) Financial Assistance for Marriage of their Children and for self marriage of female member (12) Family Pension (13) Janshree Beema Yojana.

Karnataka

(1) Assistance to meet the funeral expenses (2) Medical Assistance (3) Accident Benefit Scheme (4) Medical Assistance.

Kerala

(1) Pension (2) Family pension (3) Tools Advance (4) Funeral benefits (5) Death Benefits (6) Accident Death benefits (7) Treatment Benefits (8) Fatal Disease Treatment Benefits (9) *Ex-gratia* Benefits (10) Scholarship (11) Entrance exam Coaching (12) Marriage Benefits (13) Maternity Benefits etc.

Madhya Pradesh

(1) Medical Assistance in case of Accident scheme (2) Funeral Assistance and *Ex-gratia* payment in case of death scheme (3) Education Assistance (Scholarship) Scheme (4) Cash Award for Meritorious student scheme (5) Maternity Assistance Scheme (6) Medical Assistance scheme (7) Beneficiary's Daughter's/Female Beneficiary's own marriage Assistance scheme (8) Pension assistance scheme (9) Housing loan assistance scheme.

Tamil Nadu

(1) Group Personal Accident Insurance Scheme (2) Assistance on Natural Death (3) Assistance for funeral expenses (4) Educational Assistance (5) Marriage Assistance

(6) Maternity Assistance (7) Reimbursement of cost of spectacles (8) Pension scheme (9) Creches for children of women workers.

Tripura

(1) Assistance in case of accident (2) Death benefit (3) Pension (4) Loan and advances (5) Medical expenses for treatment (6) Maternity to a female beneficiary.

West Bengal

(1) Assistance in case of accident (2) Death Benefit (3) Old Age Pension (4) Assistance for the education of children (5) Medical Assistance for treatment of major ailments (6) Maternity benefit (7) House Building Advance.

Delhi

(1) Advance for purchase/construction of house (2) Disability pension (3) Loan for purchase of tools (4) Death benefits to the nominee/dependent of the workers (5) Maternity benefits (6) Family pension Old age Pension (7) Opening of Creches for the children of workers near construction site (8) Payment of premium for Life Insurance Policy under Jan Shree Bima Yojana scheme of LIC (9) Scheme for providing temporary accommodation for construction workers in holding areas.

Puducherry

(1) Group Insurance Coverage under Janshree Bima Yojana (2) Medical Assistance (3) Funeral Assistance/Death Benefits (4) Maternity Benefits (5) Marriage Assistance (6) Deepawali Gift Coupons (7) Scholarship to Children (8) Raincoat.

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा : चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से इन्फॉरमेशन चाहूंगा कि आज देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। यह बेरोजगारी आर्गनाइज्ड और अनआर्गनाइज्ड दोनों क्षेत्रों में अब ज्यादा होती जा रही है। लेबर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि पिछले तीन महीनों में पांच लाख से ज्यादा लोग और बेरोजगार हो गए हैं। बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण मजदूरों की हालत बिगड़ती जा रही है। आज से 12 वर्ष पहले भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 में पास हुआ था। इसके तहत बिल्डर से...।

श्री सभापति : आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा : सर, मैं सवाल पर आ गया। बिल्डर से कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट को दिया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस कानून के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बिल्डर सीपीडब्ल्युडी और नेशनल हाईवेज़ अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा कितनी राशि आज तक इकट्ठी की गई है और उस राशि से इन कामगारों के कल्याण के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

श्री ऑस्कर फर्नांडिस : सर, हमारा प्रयास है कि सारी राज्य सरकारें इन स्कीमों को इम्पलीमेंट करें। जब हमारी सरकार आई, तब सिर्फ पांच राज्य सरकारों ने इस स्कीम को लागू किया। अभी 16 राज्य सरकारों ने इस स्कीम को लागू किया है। इसमें जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, उतनी प्रोग्रेस अभी तक नहीं हुई है। हम लोगों ने अभी तक 14 रीजनल मीटिंग्स की हैं, उनकी वजह से 16 स्टेट्स ने इस स्कीम को मान लिया। अभी तक 16 राज्यों में एक हजार चार सौ करोड़ रुपया इकट्ठा किया और सिर्फ दो-तीन राज्य सरकारों ने इम्पलीमेंटेशन शुरू किया । हमारा प्रयास है कि सभी राज्य सरकारें इस स्कीम को स्वीकार करें और ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इसका फायदा मिले। उसके अलावा हमने रूरल एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम लागू

की है, हमारे माननीय सदस्य ने रोजगार देने की बात कही है। करीब दो करोड़ से ज्यादा लोग कंस्ट्रक्शन सैक्टर में हैं, इन लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया। हमने राज्य सरकारों को रूरल एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम के साथ स्वास्थ्य बीमा योजना सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए लागू करने के लिए इन्फारमेशन और डायरेक्टिव दिया है।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा : सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस कानून के अन्तर्गत इकट्ठी की गई राशि को उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों के लिए अथवा केन्द्र सरकार के लिए कोई गाइडलाइन्स तय की गई हैं ? यदि तय की गई हैं, तो क्या हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि गाइडलाइन्स कब बनाई गयी थीं और इन पर कब से काम शुरू किया गया है ?

श्री ऑस्कर फर्नांडिस : सर, हम सारी गाइडलाइन्स राज्य सरकारों को दे चुके हैं। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ इम्पलीमेंटेशन राज्यों में कैसे चल रहा है, उसको देखती है। स्कीम के इम्पलीमेंटेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और हम लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेबर सेक्रेटरी के अधीन एक कमेटी का गठन किया जा चुका है, जो इस स्कीम का मॉनिटरिंग करेगी। हमारा पूरा प्रयास है कि उसका फायदा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिले, उनके परिवार को मिले, उनके बच्चों को एजुकेशन का फायदा मिले, उनको पेंशन स्कीम भी मिले और हो सके तो हाउसिंग मिलने में भी उनकी मदद करें। सारे देश में सेस कलेक्शन होगा, तो उससे करोड़ों रुपये इकट्ठे हो सकते हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को उसका पूरा फायदा दिया जा सकता है।

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Thank you, Mr. Chairman, Sir. With a lot of respect for the hon. Minister, this answer is not properly prepared by the bureaucracy. The question is in a, b, c, d and e parts. A lot of information is required in the writing, which is not available. I request the hon. Minister to answer the question and part 'e' in particular — the names of States where this collection was done and the names of the schemes formulated out of this amount for welfare of workers. And, Sir, I may be given specific information about the States of Gujarat, Uttar Pradesh and Maharashtra.

SHRI OSCAR FERNANDES: Sir, in Gujarat specifically, about 60 crores of rupees have been collected as cess. The progress is not bad. To begin with it is a good progress. Now, as far as the schemes are concerned, various States have formulated various schemes. For example, the State of Gujarat has brought in Education Assistance to Children, Maternity Benefit Scheme, Accident Benefit Scheme, Funeral Benefit Scheme, Medical Assistance Scheme, Housing Building Scheme, Training for skill upgradation, etc. Similarly, Sir, various States have formulated various schemes for the benefit of the workers. I have already stated the amount totally collected in the country. As on today, Rs. 1,400 crores have been collected. In Andhra Pradesh, we have collected Rs. 108 crores, in Assam Rs. 2.13 crores, in Arunachal Pradesh Rs. 0.06 crores, in Bihar Rs. 14 crores, etc. Like that, if you want, I will give the entire list to the hon. Member.

SHRI MANOHAR JOSHI: Thank you, Mr. Chairman, Sir. The question was very important because it was in the interest of the building and construction workers. This particular welfare cess was absolutely important. The Act was passed in 1996 and the rules were framed in 1998. Almost 10 years have passed and the States are not doing anything. So, seeing this on the part of the State Governments, what can the Central Government do under the present law? If the State Governments do not respect the desire of the Central Government, what is the way out to see that this is done forthwith?

SHRI OSCAR FERNANDES: Sir, on the 20th and 21st, we are having the National Labour Conference. I have fixed up this as a particular agenda to be discussed in the Labour Ministers' Conference. Sir, the major question is, there is some resistance in each and every State. And, one important factor is, one per cent cess has to be paid by the State itself and one per cent has to be paid by the Centre for the Central scheme undertaking. So, there is some little financial problem coming up in each State. But we are putting pressure on every State so that the benefits go to the workers. And, I am sure, at the Labour Ministers' Conference, we will be able to find a solution to the problem.

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, my question was very simple. Under the present law, whether there is any provision to enforce it on the State Governments.

SHRI OSCAR FERNANDES: Sir, the Act says that the States shall ... the word is 'shall' and that is where, Sir, ...*(Interruptions)*.. I agree, Sir. The progress has not been ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: We are all guilty in that. ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, यह जो विषय था ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Yes, Dr. Heptullah, please...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, मैं इसमें आठ साल से मैम्बर रहा हूं। ....(व्यवधान)....

श्री सभापति : पाणि जी, आपको भी इस पर बोलने का मौका मिलेगा।

डॉ (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला : सभापति जी, मंत्री जी ने रिटन में जो जवाब दिया है और जो ओरल जवाब दिया है, उसमें अंतर है। आपने बोला है कि 1,400 करोड़ का कलेक्शन हुआ, जबकि रिटन आन्सर में 973.46 करोड़ लिखा है। यह डिस्क्रिपेंसी कहां हुई है? कहां से पैसा कलेक्ट हुआ, इसमें मेंशन नहीं है। आपके इस जवाब में गलती है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र स्टेट की मुम्बई सिटी में, मुंबई में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है, तमिलनाडु का सबसे ज्यादा कलेक्शन है, दिल्ली, गुजरात और दूसरी स्टेट्स का भी है। जोशी जी ने जो सवाल किया था कि क्या दस साल में लेबर मिनिस्टर्स की एक भी मीटिंग नहीं हुई, दस साल तक यह मामला ऐसे ही पड़ा रहा, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, मैंने मुंबई में खुद देखा है कि जो औरतें काम कर रही होती हैं, उनके बच्चे सड़क पर बैठे रहते हैं। उनकी शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है, उन्हें कोई मेडिकल फेसिलिटी प्राप्त नहीं है, वे धूप में पड़े रहते हैं। यदि हमने बिल पास करके यहां से एक्ट बनाकर भेजा था, तो इसलिए भेजा था कि उसका कुछ इम्प्लिमेंटेशन सरकार करे। एटलीस्ट जिस स्टेट में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में तो आप कर ही सकते थे।

श्री ऑस्कर फर्नांडिस : सभापति जी, आदरणीया मैम्बर ने जो मुद्दा उठाया है, वह ठीक मुद्दा उठाया है। 31 मार्च तक 900 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, as on 31st December, 1400 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। प्रश्न में पूछा है, 31 मार्च तक कितना जमा हो चुका है, इसलिए हमने अपडेटिड फिगर अपनी रिप्लाई में दी है। फिगर में गलती नहीं है, आपको वह फिगर्स स्वीकार करनी है। अभी महाराष्ट्र राज्य यह स्कीम एक्सेप्ट कर चुका है, पहले यह स्कीम इम्प्लिमेंट नहीं थी। अभी महाराष्ट्र राज्य ने स्कीम मांगी है, जब महाराष्ट्र सेस कलेक्शन करेगा तो हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, जिसका फायदा हमारे बच्चों, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके पेंशन के लिए होगा, हम उसका फायदा उठा सकते हैं।

MR. CHAIRMAN: Q.No.43.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, I had raised my hands. Lakhs of workers are demonstrating...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I am aware of it. ...*(Interruptions)*... Please do not interrupt the Question Hour. ...*(Interruptions)*... Please do not interrupt the Question Hour. *(Interruptions)* I am afraid...*(Interruptions)*... Please resume your place. ...*(Interruptions)*... Please resume your place. ...*(Interruptions)*... Allow the Question Hour to proceed. Other matters can be raised at other times. Question No. 43, please.

दिल्ली में गोल डाकखाने पर यातायात संबंधी समस्याएं

*43. **श्री राजनीति प्रसाद**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली संस्थानिक अंचल (डी.आई.जेड.) क्षेत्र में गोल चक्कर के आसपास चलने वाले पैदल यात्रियों को यातायात पुलिस की लापरवाही के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या गोल डाकखाना के गोल चक्कर पर पैदल यात्रियों के लिए कालीबाड़ी मार्ग को पार करना या गोल डाकखाने में जाना लगभग असम्भव ही है;

(ग) क्या स्कूल जाने वाले बच्चों/उनके अभिभावकों को पेश आ रही समस्याओं को देखते हुए राज्य सभा की एक महिला सांसद ने भी इस स्थान पर यातायात विनियमों के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं, परन्तु यातायात पुलिस ने इन सुझावों पर कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(घ) मंत्रालय कब तक यह सुनिश्चित करने की स्थिति में होगा कि यातायात संबंधी इन बाधाओं को दूर कर दिया गया है तथा इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई कर दी गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) प्रश्नाधीन गोल चक्कर पर कई फीडर सड़कों के मिलने से इस सड़क पर भीड़-भाड़ बढ़ जाती है जिसके कारण सड़क पार करने के लिए पैदल चलने वालों को इंतजार करना पड़ता है। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर चल रहे मैट्रो एअरपोर्ट एक्सप्रेस लिंक लाइन के निर्माण के कारण भी, जो अक्टूबर, 2010 में पूरा होना निर्धारित है, ट्रैफिक का विपथन करना जरूरी हो गया, जिसके परिणामस्वरूप ट्रैफिक जाम होता है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। इस संबंध में राज्य सभा के माननीय सदस्य ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:-

(i) कैथोलिक बिशप कान्फ्रेंस आफ इण्डिया (सी बी सी आई) तथा कालीबाड़ी मार्ग पर सेण्ट्रल कैथड्रल चर्च के आयरन निकास द्वार के मध्य वाहनों की अनाधिकृत पार्किंग की मनाही।

(ii) पैदल चलने वालों, खासकर नजदीक के विद्यालयों के बच्चों तथा उनके संरक्षकों को स्कूल समय के दौरान कालीबाड़ी मार्ग पर सड़क पार करना सुलभ बनाने के लिए सी बी सी आई भवन के सामने यातायात पुलिस/यातायात मार्शलों की तैनाती करना और इस उद्देश्य के लिए इस सड़क पर जेब्रा क्रासिंग का प्रावधान करना।

(iii) भाई बीर सिंह मार्ग-कालीबाड़ी मार्ग के टी प्वाइंट पर ट्रैफिक सिग्नल का उपयुक्त समायोजन तथा कालीबाड़ी मार्ग पर जाने वाले पदयात्रियों की सुविधा के लिए "नौ फ्री लेफ्ट टर्न" लिखे चमकीले साइन बोर्ड का प्रदर्शन करना।

माननीय ससंद सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों सहित, इस मुद्दे की जांच करने पर, दिल्ली पुलिस ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-